उत्तराखंड जागरण

खनिज रायल्टी में वृद्धि से 50 करोड़ का अतिरिक्त राजर

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: राज्य में खनिज (रेत, बजरी, बोल्डर) पर रायल्टी की दर में अब आठ रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। पहले यह सात रुपये प्रति क्विंटल थी। कैबिनेट ने इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग के उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

रायल्टी की दर में वृद्धि से सरकार को लगभग 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसके साथ ही यह संशोधन भी किया गया है कि खनन कार्यों में अब ट्रैक्टर माउंटेड फ्रंट लोडर एंड बैकहो का उपयोग किया जा सकेगा। यह ऐसा कृषि उपकरण है, जिसे साधारण ट्रैक्टर के साथ जोड़कर उसे खोदाई और लोडिंग मशीन में बदला जा सकता है।

स्थगनादेश की कैबिनेट को दी गई जानकारी

कैबिनेट की बैठक में जानकारी दी गई कि विभिन्न विभागों में वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन देने और उनकी सेवा गणना के संबंध में इसी वर्ष 16 जनवरी को शासनादेश जारी किया गया था। कुछ कार्मिकों ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस पर न्यायालय ने स्थगनादेश जारी किया है। कैबिनेट ने इस स्थगनादेश के दृष्टिगत लागू व्यवस्था को अनुमोदित किया।

वैट दरों में संशोधन प्रस्ताव अनुमोदित

आबकारी नीति के तहत पूर्व में छह प्रतिशत वैट की दरों का निर्धारण किया गया था। इसी नीति के अनुसार वित्त विभाग ने भी जीएसटी से संबंधित अपनी नियमावली में छह प्रतिशत वैट की दर के संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा, जिसे अनुमोदित कर दिया गया।

एसिड अटैक पीड़िता को मुफ्त विधिक परामर्श

कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली निश्शुल्क सेवा के अंतर्गत एसिड अटैक पीड़िता को भी शामिल किया गया है। यही नहीं, राज्य में सैनिकों से संबंधित मामलों की अधिकता को देखते हुए अब जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य होंगे।

कैबिनेट के निर्णय

प्रतीक्षा सूची की निर्धारित होगी समय-सी

राज्य में विभिन्न विभागों और आयोगों में नियुक्ति प्रि के दौरान तैयार की जाने वाली प्रतीक्षा सूची के लिए 3 स्पष्ट समय-सीमा तय की जाएगी। इस संबंध में का विभाग मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) तैयार करेगा। गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ता मंजूरी दे दी गई। अब तक प्रतीक्षा सूचियों को लेकर दिशा-निर्देश न होने के कारण अभ्यर्थियों को लंबे स तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था। हाल। गन्ना पर्यवेक्षक और गन्ना निरीक्षक पदों की भर्ती में। सूची को एक वर्ष पूरा होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रि शामिल नहीं करने का मामला सामने आया था। इसी ध्यान में रखते हुए सरकार ने तय किया है कि एकल के पदों में यदि एक वर्ष के भीतर प्रतीक्षा सूची उपलब्ध जाती है तो उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य के लिए एक स्पष्ट और एक एसओपी लागू की जाएगी, जिससे सभी विभागों और आयोगों में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित हो स